

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दांडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा।



सहायक अभियंता

निर्माण खण्ड लो.नि.वि.

कपकोट

अधिकारी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.  
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.  
कपकोट